कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/6डी/सेटअप परिवर्तन/2021 **दिनांक–यथा हस्ताक्षर**

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, **समस्त सम्भाग।**

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा **(समस्त जिले)।**

विषयः महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुवे कार्मिकों के समायोजन के क्रम दिशा–निर्देश दिनांक 16.07.2025 के संबंध में।

अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित कार्मिकों के पदस्थापन आदेश जिला/संभाग/राज्य स्तर पर पदीय स्वरानुरूप दिनांक 30.06.2025 एवं 11.07.2025 को जारी किये गये थे। इन आदेशों की पालना में चयनित कार्मिकों के कार्यग्रहण कर लेने के कारण इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत अचयनित कार्मिक जो अधिशेष हो गये है, उनके समायोजन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के अनुसरण में दिनांक 16.07.2025 को जारी दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. समायोजन आदेश के उपरान्त परिवेदना प्राप्त करने की अंतिम तिथि–31.07.2025 तक प्राप्त समस्त कार्मिकों की परिवेदनाओं (कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने वाले) का निस्तारण किया जाना है।
2. कुछ विद्यालय जो कमोन्नत हो गये और उनमें प्रारम्भिक शिक्षा के कार्मिक थे, उनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा में नहीं किया जाकर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में ही किया जावे।
3. तृतीय श्रेणी लेवल वन के पद पर सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं हिन्दी विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का समायोजन किया जा सकता है। साथ ही सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं हिन्दी विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद पर कोई विकल्प नहीं होने पर लेवल वन के अध्यापक लगाये जा सकते है।
4. प्रशासनिक आधार पर आवश्यक होने पर ब्लॉक परिवर्तन (शहर के विद्यालय से ग्रामीण विद्यालय अथवा ग्रामीण विद्यालय से शहर के विद्यालय) किया जा सकता है।
5. पारस्परिक स्थान परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

इस कार्यालय के समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के अनुसरण में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 16.07.2025 की निरन्तरता में उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पालना करते हुए प्राप्त परिवेदनाओं का दिनांक 08.08.2025 तक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। यह निर्देश अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत अचयनित कार्मिक जो अधिशेष हो गये है, से संबंधित परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए ही मान्य होंगें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5- शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
7- संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय हाजा।
8- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
9- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10- सहायक निदेशक, एबी/सी/महात्मा गांधी अनुभाग, कार्यालय हाजा।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :06-08-2025 02:01:55

RajKaj Ref No.: 17023750
eSign DSC